इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई 2012—आषाढ़ 21, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. एफ.24-1-2012-एक-10.—यत: 06 जनवरी, 2012 को पुलिस थाना मौ का पुलिस बल श्री देवेन्द्रसिंह भदौरिया, निवासी ग्राम पड़कौली की गिरफ्तारी के वारण्ट के निष्पादन हेतु ग्राम पड़कौली पहुंचा तथा श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया गया किन्तु ग्रामवासियों द्वारा पुलिस बल पर अचानक हमला कर दिया गया और उपरोक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया गया तथा जान से मारने के आशय से आरक्षकों पर बंदूक से गोली चलाना भी शुरू कर दिया गया और पुलिस बल से एक रायफल लूट ली. इस घटना में एक व्यक्ति श्री रनसिंह भदौरिया पुत्र श्री शिवपालसिंह भदौरिया, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पड़कौली की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी.

2. राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना की जांच किए जाने के प्रयोजन से एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है. जांच आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले बिन्दु निम्नानुसार होंगे :—

(क) श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी पड़कौली को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था तथा किस न्यायालय में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया था?

(ख) किन परिस्थितियों के अधीन ग्रामवासियों द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया और बंदूक से गोली चलाना शुरू किया गया? गिरफ्तारी वारण्ट का निष्पादन कौन कर रहा था?

(ग) किन परिस्थितियों के अधीन रनसिंह पिता श्री शिवपालसिंह, निवासी ग्राम पड़कौली की मृत्यु कारित हुई तथा इसका कारण?

(घ) ऐसे अन्य विषय जो घटना से आनुषंगिक हों जैसा कि आयोग उचित समझे.

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम के संबंध में सुझाव.

3. अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त घटना की जांच के संबंध में एकल सदस्य श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर से मिलकर बनने वाले जांच आयोग नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में होगा.

5. आयोग अपनी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

No. F. 24(1)-2012-One-10.—WHEREAS, on 6th January, 2012 the police force of police Station, Mau had reached Padkauli Village to execute arrest warrant of Shri Devendra Singh Bhadoria, resident of Village Padkauli and Shri Devendra Singh Bhadoria was arrested by the police force but the villagers suddenly attacked on the police force and released the aforesaid person from police custody and also opened fire with gun with an intent to kill policemen and looted a rifle from the police force. In this occurrence one person Shri Ran Singh Bhadoria S/o Shri Shivpal Singh Bhadoria, aged 25 years resident of village Padkauli was killed by gunshot.

2. The State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into this incidence, the terms of reference to be decided by the Commission shall be as follows :—

(a) Under which offence Shri Devendra Singh Bhadoria resident of padkoli was arrested and which court has issued the arrest warrant.

(b) Under which circumstances the villagers have attacked and opened fire with Gun on the police force, who were executing the arrest warrant.

(c) Under which circumstances the death of Ran Singh S/o Shivpal Singh Bhadoria, resident of village Padkauli was caused and its reason.

(d) Such other matters which is incidental to the incident, as may think proper by the Commission.

(e) Suggestions regarding prevention of recurrence of such incidents in future.

3. Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the State Government, hereby, appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely Shri Akhil Kumar Shrivastava, District and Sessions Judge, Narsinghpur to enquire into the said incidence.

4. The headquarters of the Commission shall be at Gwalior, Madhya Pradesh.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within three months from the date of publication of this Notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.